Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 23/2023 सी.आई.एस.क्र.– 23/2023

योगेन्द्र साह बनाम रामचन्द्र साह एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
18.07.2025	वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है तथा प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश – 39 एवं आदेश 26, नियम – 9 दिवानी प्रक्रिया संहिता की आवेदन का कारण–पृच्छा एवं प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत संशोधन आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि टंकक की त्रुटि के कारण वाद–पत्र के पैरा नंबर – 2 के तीसरी लाईन में सुरेश साह के पश्चात previously शब्द, पैरा 6 के चौथी लाईन में was also शब्द के बाद एवं included शब्द के पूर्व not शब्द तथा पैरा 6 के प्रथम लाईन में सुरेश साह के बाद एवं also शब्द के पहले not शब्द जोड़ा जाना छूट गया है। उक्त संशोधन सामान्य प्रकृति का है। अतः निवेदन है कि उक्त संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर न प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद वर्तमान समय में साक्ष्य पर नियत है परंतु इस वाद में अभी विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है और इसी क्रम में वादी की ओर से यह संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा चाहे गये संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है और उक्त संशोधन सामान्य प्रकृति का है। ऐसी दशा में न्यायहित में वादी के इस आवेदन को **स्वीकृत** कर इस आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह वाद उभय पक्षों की सहमति से विशेष सुलह वार्ता कैम्पेन के आलोक में सुलह वार्ता हेतु दिनांक 23.07.2025 को नियत किया जाता है। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	